तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/2/20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उप० पत्रावली में प्रार्थना पत्र 023 R1 CPC पर बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 023R1 CPC हेतु दि० 28/2/20 को पेश हो।
28/2/20 -	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उप० पत्रावली में प्रार्थना पत्र 023 R1 CPC को 1000/- रु० कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। वादीगण को वादपत्र विड्रा कर नया वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जावे। [illegible] किया गया पत्रावली बाद तकमील जाब्ता नम्बर से खारिज की जावे।

सेवामें,

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर आर.ए.एस
दावा संख्या :: 125/2014

रामसुख पिता भूरा धाकड
निवासी पाडावास व अन्य

बनाम

नारायणलाल पिता हीरा धाकड
निवासी पाडावास व अन्य

वाद अ0धा0 53 राज0 काश्त0अधि0

उपस्थित :: श्री देवेन्द्र सिंह
अधिवक्ता वादीगण
श्री एस.सी.टेलर
अधिवक्ता प्रतिवादी

आदेश दिनांक 28.02.2020

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23नियम 1 जा0दी0

दावा पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक प्राथ्रना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वाद प्रस्तुत करते समय सम्वाद हीनता के कारण नकल जमाबंदी में प्यारीबाई का नाम दर्ज होने के कारण प्यारीबाई को वादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया ।

यह कि प्यारीलबाई ने दिनांक 23.07.2013 को अपने हक का त्याग कर दिया था जिससे उसका वाद वर्णित विवादित आराजीयात में हक शेष नहीं होने से वादपत्र में पक्षकार बनाकर हक इन्द्राज कर दिया गया इसलिए उक्त अनवान के वाद को वादीगण विड्रा कर कानूनी तनकी से बचने के लिए नया वाद प्रस्तुत करना चाहते है। न्यायहित में अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वाद को विड्रा कर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कराने की कृिपा करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस किये जाने का अनुरोध किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा0दी0 पर उभयपक्ष की बहस को सुना गया। बहस में अधिवक्ता वादीगण प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादपत्र में वादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्से की भूमि का हकत्याग कर दिया था जो 23.07.2013 को कर दिया था, किन्तु जमाबंदी में नाम होने से वादीया प्यारीबाई को पक्षकार बनाया गया व उनका हिस्सा भी वादपत्र में दर्शाया गया है,यह त्रुटि वादपत्र तैयार करते समय सम्वाद हीनता के कारण हुई है। वादीगण अपने इस वादपत्र को विड्रा करते हुए नया वाद प्रस्तुत करना चाहते है, प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए नया वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावें। बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वादीगण को यह तथ्य वादपत्र प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखते हुए सही वादपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जब वादीया सं. 3 द्वारा हक त्याग वर्ष 2013 में कर दिया गया था तो उनका हिस्सा उक्त वादपत्र में नहीं रहता है, साथ ही वादीगण द्वारा इस वादपत्र को वर्ष 2014 मे प्रस्तुत किया है पत्रावली में तनकी पत्र कायम किया जाकर पत्रावली साक्ष्य में विचाराधीन है काफी समय गुजरने के पश्चात वादीगण अब इस वादपत्र को विड्रा कर नया वाद पत्र प्रस्तुत करना चाहते है जो न्यायोचित नहीं है। वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

-----लगातार

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात पत्रावली का गहन अवलोकन किया, वादीगण द्वारा वादपत्र वर्ष 2014 में इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जो दिनांक 10.10.2014 को इन्द्राज किया गया है, वादपत्र में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं. 2069 से 72 में नारायणलाल पिता हीरा 5/6, रासुख हीरा प्यारीबाई पिता भूरा 1/6 का अंकन वाद वर्णित आराजी संख्या 217, 219, 220, 221 किता– 4 कुल रकबा 1.8050 हैक्टर भूमि में है साथ ही पत्रावली में प्रस्तुत हकत्याग विलेख जो कि दिनांक 23.07.2013 को प्यारीबाई द्वारा रामसुख व हीरा के पक्ष में पंजीकृत निष्पादित किया है, जिससे वर्णित आराजी में प्यारीबाई का हिस्सा नहीं रहता है, लेकिन वादपत्र में प्यारीबाई को वादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाते हुए उनका हिस्सानुसार विभाजन की कार्यवाही किये जाने का वाद प्रस्तुत किया गया, जो कि त्रुटीपूर्ण है, वादीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय का काफी समय व्यतीत किये जाने पर प्रस्तुत करते हुए वादपत्र को विड्रा कर नया वाद प्रस्तुत किया जाने का प्रस्तुत किया है। वादीगण की त्रुटी से प्रतिवादीगण भी आहत हुए है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र 1000/–रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाना हम न्यायसंगत समझते है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा0दी0 का 1000/–रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है इस वादपत्र को विड्रा किया जाने व नया वादपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति वादीगण को दी जाती है। इस दावा पत्रावली को फैसलशुमार किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक लेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner